फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

भूराराम वगैरा   बनाम   गणेशाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 98/20 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.06.2020	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री भगवानदास गोयल द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा दर्जियों की ढाणी व माधासर पटवार मण्डल माधासर तहसील बायतु में आई हुई है। प्रार्थीगण वकील के कथनानुसार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि का विप्रार्थीगण बैचान करने, भूमि में दखलअन्दाजी करने व उसे खुर्द–बुर्द करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थी को आगामी पेशी तारीख 08/07/2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा दर्जियों की ढाणी पटवार मण्डल माधासर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 104/51, 51, 81, रकबा क्रमशः 1.2216, 8.0496, 8.4298 हैक्टेयर व मौजा माधासर पटवार मण्डल माधासर के खेत खसरा नम्बर 105 रकबा 3.6162 हैक्टेयर की भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि का बैचान विप्रार्थीगण नहीं करें। न ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी करने का प्रयास करें। न ही भूमि को खुर्द–बुर्द करने का प्रयास करें। वर्तमान मौके व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते दिनांक 08/07/2020 को पेश हों।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:05:09 IST
Reason: SelfAttested

08/07/2020	प्रार्थी वकील व प्रार्थी संख्या-3 स्वयं तथा विप्रार्थी संख्या-1 स्वयं उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-1 के द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, फाईल पेश करना चाहते है, समय दिया जाता है। अतः पत्रावली मूल वाद के संलग्न दिनांक 22/07/2020 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	भंवरलाल
22/07/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-1 के द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। फाईल पेश करना चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 05/08/2020 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
05/08/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनु०। जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 08/09/20 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	भंवरलाल
08/09/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनु०। प्रार्थी वकील बहस करना चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक [illegible]/11/2020 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

तारीख हुक्म 24/11/2020

हि.लि. ग्रामसेवक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:05:09 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/11/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाव पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 17/02/2021 को पेश हों।	
17/02/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 19/04/2021 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।	
19/04/2021	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 07/06/2021 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।	
07/06/2021	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 13/07/2021 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:05:09 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
13/07/21	प्रार्थी व विपक्षी संख्या-1 के वकील उपस्थित। चूंकि पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से [illegible] हेतु आगामी दिनांक 02/10/2021 को पेश हो।	
02/10/2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 हेतु कैम्प ग्राम पंचायत गोरडू ओखजी में रखी गई। प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता तथा विपक्षीगण संख्या-1 एवं 3 उप०। प्रार्थी के मूल वाद का निस्तारण हो चुका है इसलिये आवेदन का कोई औचित्य नहीं रखता है अतः प्रार्थीगण का उक्त स्थगन आवेदन इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला -- बाड़मेर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:05:09 IST
Reason: SelfAttested